न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 18/2024–25 तारीख दायर :–11.07.2024 दिनांक निर्णय :–27.08.2024

पटवारी हल्का सकट जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

रामबाबू पुत्र हरिनारायण जाति यादव निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सकट द्वारा राजस्व ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.16 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.13 हेक्ट0 व 1431 रकबा 0.06 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.04 हेक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.17 हैक्ट0 पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर रामबाबू पुत्र हरिनारायण जाति यादव निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत होकर प्राप्त हुई। गैरसायल/अप्रार्थी व गैरसायल की ओर एडवाकेट श्री अजित कुमार यादव उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल व उनके अधिवक्ता द्वारा समय दिये जाने के बावजूद साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा नोटिस जवाब में कथन किया गया कि 1432, 1433, 1436/1वाके ग्राम सकट की पैमाईस करवाकर उक्त आराजी खसरा नम्बर 1274 व 1431 में मध्य पत्थरगढ़ी किया जावे। उक्त कथन के सम्बंध में अप्रार्थी द्वारा खातेदारी के सम्बंध में सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर पैमाईस कर पत्थरगढ़ी करवा सकता है। अप्रार्थी की सकट के आराजी खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.16 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.13 हेक्ट0 व 1431 रकबा 0.06 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.04 हेक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.17 हैक्ट0 पर अतिक्रमण कायम रखने की मंशा प्रतित होती है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का सकट की रिपोर्ट सम्वत 2081 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम सकट की गै0मु0रास्ता की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी रामबाबू पुत्र हरिनारायण जाति यादव निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.16 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.13 हेक्ट0 व 1431 रकबा 0.06 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.04 हेक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.17 हैक्ट0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 2.04 की 50 गुणा में मु0 102.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का सकट को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 27.08.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2024-25
के पृष्ठ संख्या 67 प.र. रि. 102/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर
राजगढ़ (अलवर)